छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010
(फाल्गुन-7, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 02 एवं 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सुश्री साधना स्थापक, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 18 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री चैतराम साहू, सदस्य ने भाटापारा क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने एन.एम.डी.सी. की उदासीनता के कारण नगरनार स्टील प्लांट स्थापित नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने अंबिकापुर जिले के पहाड़ी कोरवा जाति के लोगों को शासन की विकास योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	श्री मोहम्मद अकबर
(6)	श्री नंद कुमार पटेल
(8)	श्री नंद कुमार पटेल
(9)	श्री नंद कुमार पटेल

(10)	सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह
(11)	श्री नंद कुमार पटेल
(13)	श्री नंद कुमार पटेल
(15)	श्री नंद कुमार पटेल
(16)	श्री नंद कुमार पटेल
(17)	श्री अमरजीत भगत
(18)	श्री नंद कुमार पटेल

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला दुर्ग, विधानसभा साजा के ग्राम पंचायत अमराव नगर से गोरखपुर पहुंच मार्ग कार्यों में अनियमितता होने,

(2) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी शिवरीनारायण में बिर्रा हसौद होकर छपोरा तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने बलौदा विकास खंड के अंतर्गत सड़क की जर्जर हालत होने,

(4) श्री रामजी भारती, सदस्य ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बघेरा में नहरपाली निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सीमेंट से क्रांकीटीकरण किये जाने, तथा

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने ग्राम पंचायत थुहाडबरी में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन की छत का पुनर्निर्माण न किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(5) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया :-

(1)	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010)	-	15 मिनट
(2)	पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010)	-	15 मिनट

6. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबधित मांग संख्या 76, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबधित मांग संख्या 26, पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 एवं राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, महंत रामसुंदर दास, ताम्रध्वज साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, अग्नि चंद्राकर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, देवेन्द्र बहादुर सिंह, दूजराम बौद्ध, **मांग संख्या-67 पर** सर्वश्री धर्मजीत सिंह, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, ताम्रध्वज साहू, देवेन्द्र बहादुर सिंह, दूजराम बौद्ध, **मांग संख्या-76 पर** श्री महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-27 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, महंत रामसुंदर दास, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, अग्नि चंद्राकर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,दूजराम बौद्ध **मांग संख्या-51 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-26 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, धर्मजीत सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-37 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री गुरू रूद्रकुमार, **मांग संख्या-28 पर** श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

चर्चा प्रारंभ।

प्रतिपक्ष के प्रस्ताव तथा पक्ष की सहमति पर माननीय अध्यक्ष ने सदन द्वारा अनुदान मांगों पर चर्चा आगामी कार्य दिवस से प्रारंभ कराने तथा भोजन अवकाश निरस्त कर अशासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारंभ कराने की घोषणा की।

7.अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं आंतरिक सड़कों के दोनों किनारों में वृक्षारोपण किया जाकर उनका संरक्षण, संवर्धन किया जाना।

श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, संतोष बाफना, अग्नि चंद्राकर, देवजी पटेल, मो.अकबर, सौरभ सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने की सहमति दी।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों का सरलीकरण किया जाना।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, दयालदास बघेल, नंद कुमार पटेल, डॉ.सुभाऊ कश्यप, अग्नि चंद्राकर, बैदूराम कश्यप, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, दीपक कुमार पटेल।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य से अनुरोध किया कि वे इस संकल्प में “यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि” वाक्य जोड़कर संशोधन कर लें तो वे इसे पारित करने के पक्ष में हैं।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने उक्त संशोधन करने की सहमति दी।

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ।

(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 एवं 342 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची सरल क्रमांक-41 पर सवर, सवरा के साथ संवरा एवं सौंरा के अतिरिक्त सौरा, सउरा, सहरा को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना।

डॉ.हरिदास भारद्वाज , सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
सर्वश्री नंद कुमार पटेल, फूलचंद सिंह,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामदयाल उइके, डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ।

अपराह्न 3.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा